न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 77 / 2020
गोपीराम अग्रवाल,आर.टी.आई.सैन्टर बांसवाड़ा (राज0) ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 014.10.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि गोपीराम अग्रवाल,आर.टी.आई.सैन्टर बांसवाडा (राज0) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से सूचना चाही गयी थी। लोक सूचना अधिकारी ((प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट / 560 दिनांक 01.10.2020 से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ((प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट कलक्ट्रेट भरतपुर) ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से वांछित सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर)ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.07.2020 से आर.टी.आई. के माध्यम से चाही गई सूचना का आवेदन सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से धारा 6(3) के तहत अन्तरित होकर प्राप्त होने पर अपीलान्ट को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया । तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराये जाने पर,उसे वांछित सूचना उनके कार्यालय पत्रांक 9350 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा उपलब्ध करादी गई है । अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) ने अपने जबाव के समर्थन में उक्त पत्र की प्रति भी भेजी गई है । प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करादी गई है ।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

..............1

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर